न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश बिस्नोई, आर.ए.एस.

2023-343RAAJodhpur2023-172RTA223 Banshilal Vs Arjanram etc

बंशीलाल पुत्र श्री रामाकिशन, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम उमाणीनगर, ढढू, तहसील व जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अरजनराम पुत्र दौलाराम
2. जोराराम पुत्र जोधाराम
3. रविन्द्र पुत्र जोराराम
4. भंवरी पत्नी जोराराम
5. गंगाराम पुत्र जोधाराम
6. ओमी पत्नी गंगाराम
7. रतनाराम पुत्र जोधाराम
8. श्रवण कुमार पुत्र रतनाराम
9. सुभाष पुत्र रतनाराम
10. देवाराम पुत्र रामचन्द्र
11. गुलाबाराम पुत्र देवाराम
12. संगीता पुत्री गुलाबाराम
13. भगवानाराम पुत्र देवाराम
14. फती पत्नी भगवानाराम

    सभी जातियान् विश्नोई निवासीगण- ग्राम उमाणीनगर, ढढू, तहसील व जिला फलोदी।
15. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 30/2023 अरजनराम व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 24 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2023 अनवान अरजनराम व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से नौ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 573 रकबा 17.9518 हैक्टेयर ग्राम उमाणीनगर के संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नोटिस सम्यक रूप से तामील नही करवाये। नोटिस जो अपीलार्थी को प्राप्त हुआ उस पर तारीख पेशी दिनांक 21.08.2023 लिखी गई है, जबकि न्यायालय की ओर्डरशीट में कांट-छांट करते हुए तारीख पेशी 31.07.2023 करते हुए नियत पेशी से पर्व ही नोटिस में दर्ज तारीख पेशी में हेराफेरी कर अपीलार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही विधि विरुद्ध अमल में लायी गई है। एकतरफा कार्यवाही हो जाने के कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। इस कारण आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों क विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण की प्रक्रिया की पालना में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही बहस सुनकर निस्तारण कर दिया। सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने पर अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख सका। यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारान् के मध्य हिस्सों को लेकर विवाद है, जिसके लिए सिर्फ बंटवाड़े का वाद पोषणीय नहीं है जानबूझकर अपीलार्थी को उसके अधिकारों से महरूम करने की नियत से वाद प्रस्तुत कर जल्दबाजी में निस्तारण करवाया है जो निर्णय खारिज योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णित करने के प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2023 को वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2023 नियत की गई। उक्त आदेशिका में तारीख पेशी में कांट-छांट किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है। उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने पर होने की मोहर के साथ तारीख इल्तवा किया जाना पाया जाता है। इसके विपरीत उक्त पेशी पर ही अपीलांट्स के सम्मन सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2023 अनवान अरजनराम व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार दावे का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर